हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
24/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। पत्रावली दि. 28/01/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 24/12/25	
28/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि. 18/03/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 28/01/26	
18/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम ओसाव की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1090 प्रार्थी के खाते की आराजी है जबकि ख० नं० 1089 अप्रार्थी 1 व अन्य लोगो की सहखातेदार है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। आवे० प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी ख० नं० 1090 के मुख्य सड़क से लगवा उत्तरी भाग पर ख० नं० 1089 के सहखातेदार रामकिशन सुतार द्वारा जबरन कब्जा कर दरवाजे का निर्माण करने और टायलेट [illegible] निकाल पर आमदा है जबकि [illegible] है कि प्रार्थी ने इनके [illegible] पर जबरन कब्जा कर गोबर का रोड़ी डाल रखी है और बार-बार कहने पर भी नहीं हटा रहा है। अप्रार्थीगण को ग्राम पर PM Awas का निर्माण करने पर	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़ (मुहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	आमादा है। अतः जाहिर है कि मुख्य सड़क से लगता प्रार्थी के ती-कोने भाग व इससे लगता अप्रार्थी 1 के हिस्से की करीब 10-15 फीट चौड़ी भूमि पर निर्माण ही विवाद की मुख्य विषयवस्तु है जिसका निर्धारण (समाधान) केवल सीमाज्ञान (demarcation of boundary) से ही संभव है। वादग्रस्त भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित है। तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 17/3/2025 एवं 21/11/2023 की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि के आबादी क्षेत्र में स्थित होने और मकान बने होने से सही सीमाज्ञान करना संभव नहीं है। ऐसे भूखंडो के सीमाज्ञान सेटलमेंट विभाग, कोटा की टीम द्वारा ही किया जा सकता है लेकिन किसी भी पक्षकार द्वारा कभी भी सेटलमेंट विभाग से सीमाज्ञान नहीं कराया है। अभि० प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के घर का मुख्य सड़क से रास्ता होते पर भी जबरन प्रार्थी की भूमि से होकर नया रास्ता भी बनाना चाहते है। ग्राम पंचायत औसाव के पत्रांक 21/02/2025 से भी साफ है कि प्रार्थी की भूमि ख०नं० 1090 के उत्तरी कोने से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है लेकिन अप्रार्थीगण रास्ता बनाना चाहते है। पुलिस थाना रायपुर में दर्ज FIR NO 0117/2020 के अवलोकन से अप्रार्थीगण द्वारा मारपीट करना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 02/07/2020 का भी अवलोकन किया गया उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खाते की आराजी ख०नं० 1090 के उत्तरी कोने से जबरन रास्ता बनाने और निर्माण (दरवाजे का) करना चाहते है और [illegible] आदेश जारी करने से प्रार्थी को अधिक [illegible] अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा ख०नं० 1090 से होकर नया रास्ता कायम करने एवं दरवाजे का निर्माण करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम व तारीख हुक्म या हुक्म में जारी	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O 39 R1&2 CPC एवं अप्रार्थीगण का प्रति प्रा० पत्र दोनों आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। अप्रार्थीगण को तावैसलामूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की आराजी ख० नं० 1090 के मुख्य सड़क से लगती उत्तरी भाग पर ना तो नये रास्ते का निर्माण करे और ना ही दरवाजे का अवैध निर्माण करे। प्रार्थी को भी पाबंद किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि पर बिना किसी सहखातेदारान की लिखित अनुमति के कोई निर्माण (आवास का) नहीं करे। अप्रार्थीगण सेटलमेंट विभाग कोटा में आवेदन कर अपनी शामलाती भूमि का नियमानुसार विधी से सेटलमेंट विभाग से सीमाज्ञान कराने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। 18/03/2026 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner